



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



12 पौष, 1945 (श०)

संख्या - 10 राँची, मंगलवार,

2 जनवरी, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

29 नवम्बर, 2023

विषय:- झारखण्ड राज्य के न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को ए.सी.पी की स्वीकृति में एक वर्ष से अधिक विलम्ब की स्थिति में, ए.सी.पी के बकाया राशि की निकासी के समय समायोजन के अधीन, प्रत्येक वर्ष के लिए एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने की स्वीकृति के संबंध में ।

संख्या-13/वरीय विविध-15/2013 का० 6639--माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा W.P. (Civil) No. 643/2015 (All India Judges Association vs Union of India & Ors) में दिनांक 19.05.2023 को पारित आदेश, झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-6429 दिनांक-15.12.2004 में निहित शर्तों के अधीन झारखण्ड राज्य के न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का प्रावधान निम्न प्रकार किया जाता है :-

(i) झारखण्ड न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को ए.सी.पी की स्वीकृति में एक वर्ष से अधिक विलम्ब की स्थिति में ए.सी.पी के बकाया राशि की निकासी के समय समायोजन के अधीन, प्रत्येक वर्ष के लिए एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान किया जायेगा।

(ii) प्रस्तावित लाभ प्रशासनिक कारणों से हुए विलंब की स्थिति में देय होगा। यदि न्यायिक पदाधिकारी के स्वयं के अयोग्यता के कारण ए.सी.पी में विलंब होता है, तो प्रस्तावित लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

(iii) झारखण्ड राज्य के न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को एक अतिरिक्त वेतन-वृद्धि ए.सी.पी की देय तिथि के एक वर्ष बाद पड़ने वाली तिथि को अनुमान्य होगा।

उक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक-22.11.2023 को संपन्न बैठक में मद संख्या-01 के तहत स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण कुमार टोप्पो,
सरकार के सचिव।
